उत्पाद-शुल्क

टिप्पणः (क) अ.उ.शु. (वि.म.मा.) से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम अभिप्रेत है।
(ख) आरएसपी से खुदरा विक्रय मूल्य अभिप्रेत है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

सभी परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

क. शिक्षा उपकर

भारत में विनिर्मित उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर उद्गृहीत किया जा रहा है। यह ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय समग्र उत्पाद-शुल्क पर 2% की दर से प्रभार्य होगा। केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार इनपुट तथा पूंजी माल पर संदत उपकर का प्रत्यय अन्तिम उत्पादों पर उपकर संदाय के लिए प्रत्यय के रूप में उपलब्ध होगा।

ख. कर आधार को विस्तृत करना तथा मध्यम केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर दर के लिए प्रस्ताव करना

(I) 8 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क निम्नलिखित मदों पर अधिरोपित किया गया हैः

(1) संस्पर्श लैंस
(2) ताश

साधारण लघु उद्योग छूट इन मदों को उपलब्ध है।

(II) निम्नलिखित मदों पर उत्पाद-शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया हैः

(1) केक और पेस्ट्री
(2) प्लास्टिक के उष्मारोधी बर्तन
(3) निर्वात फलास्क
(4) सुगंधित सुपारी
(5) पूर्व संविरचित भवन
(6) प्रयोगशाला का कांच का सामान
(7) बड़ी घड़ीयां तथा घड़ियां जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 500 रु. प्रति नग से अधिक नहीं है।
(8) मोनोक्रोम टेलीविजन ग्राही
(9) मोनोक्रोम टेलीविजन ग्राहियों के लिए सघन मुद्रित परिपथ बोर्ड
(10) नकली आभूषण
(11) मोमबत्ती

साधारण लघु उद्योग छूट इन सभी मदों के लिए उपलब्ध होगी।

(III) अर्ध-यंत्रीकृत और यंत्रीकृत सेक्टरों में निर्मित दियासलाइयों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय रहित उत्पाद-शुल्क 8 प्रतिशत से परिवर्तित करके प्रत्यय सहित 16 प्रतिशत कर दिया गया है।

(IV) अध्याय 72 के लौह और इस्पात पर उत्पाद-शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

(V) निम्नलिखित मदों पर 16 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया हैः-

(1) पूर्व संविरचित भवनों के ब्लाकों/स्लैबों, कंकरीट बीमों तथा सीढ़ियों जैसे विनिर्दिष्ट भाग
(2) 500 रु. प्रति नग से अनधिक की खुदरा विक्रय मूल्य की बड़ी घड़ियां तथा घड़ियों के पुर्जे

साधारण लघु उद्योग छूट इन सभी मदों के लिए उपलब्ध होगी।

ग. अनुतोष उपाय

1) जूतादि पर उत्पाद-शुल्क छूट के लिए खुदरा विक्रय मूल्य की सीमा को 125 रुपए प्रति जोड़ा से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति जोड़ा कर दिया गया है। अब यह छूट केवल तभी उपलब्ध होगी यदि खुदरा विक्रय मूल्य को अमिट रूप से जूतादि पर ही चिन्हनकित या उत्कीर्ण किया गया है।
2) 2000 रुपए प्रति यूनिट से कम खुदरा विक्रय मूल्य के गैस चूल्हों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है।
3) पेनों और बॉल प्वाइंट पेनों के उत्पाद-शुल्क छुट की मूल्य सीमा को 100 रुपए प्रति नग से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति नग किया गया है।
4) पेनों के पुर्जों और वॉल प्वाइंट पेनों के पुर्जों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
5) कंप्यूटरों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है। एकल सेन्ट्रल प्रोसेसिंग युनिट (सीपीयू) भी छूट के लिए पात्र होंगे। कंप्यूटर विनिर्माता के कारखाने में सीमित स्थान में उपयोग वाले पुर्जों को भी उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
6) अध्याय 18 या 19 के अंतर्गत आने वाले चॉकलेटों और माल्टीकृत खाद्य पेयों जैसे गैर-अल्कोहली पेयों को, जिनको वेडिंग मशीनों के माध्यम से तैयार और प्रदाय किया जाता है, को भी उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

घ. कृषि

1) शीर्ष 87.01 के ट्रेक्टरों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है। ट्रेक्टरों के विनिर्माता के कारखाने में सीमित स्थान उपयोग वाले पुर्जों को भी उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई ।
2) शीर्ष 84.34 की दुग्ध-दोहन मशीनों और दुग्ध उत्पाद मशीनरी को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
3) मांस,मछली और कुक्कुट की ब्रांडीकृत और पैक्ड निर्मितियों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है।
4) खाद्य श्रेणी हैक्सेन पर उत्पाद-शुल्क को 32% से घटाकर 16% किया गया है।
5) शीर्ष 82.01 के हस्त औजारों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
6) विनिर्दिष्ट बागान मशीनरियों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है। यह छूट 30 अप्रैल, 2005 तक उपलब्ध होगी।

ङ. टेक्सटाइल

1) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर स्कीम को वैकल्पिक बनाया गया है। केवल मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट सूतों (जिनके अंतर्गत संव्यूतित सूत भी हैं) पर ही आज्ञापक उत्पाद शुल्क होगा।

2) मानव निर्मित स्टेपल फाइबरों अर्थात रोज़ तथा स्टेपल फाइबर और उनके अपशिष्ट पर विद्यमान 16% का शुल्क जारी रहेगा।

3) तथापि, मानवनिर्मित फाइबरों या फिलामेंट सूत के, जिन पर आज्ञापक शुल्क लगता है, विनिर्माण के क्रम में उद्भूत होने वाले से भिन्न मानव निर्मित फाइबर के अपशिष्ट को छूट दी गई है।

4) पोलिएस्टर संव्यूतित सूत सहित पोलिएस्टर फिलामेंट सूत पर विद्यमान 24% का शुल्क जारी रहेगा।

5) अन्य संशलिष्ट और कृत्रिम फिलामेंट सूतों पर, उत्पाद-शुल्क को बढ़ाकर 16% कर दिया गया है।

6) अध्याय 50 से 63 के अन्य सभी टेक्सटाइल माल को, उदाहरणार्थ कते सूत, ग्रे या प्रसंस्कृत फेब्रिक, वस्त्र, मेड-अप और टेक्सटाइल वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, परंतु यह कि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के अधीन कोई प्रत्यय न लिया गया हो। यह छूट वैकल्पिक है। शुल्क के संदाय का विकल्प लेने वाले व्यक्ति के लिए उत्पाद-शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी-

   क) शुद्ध सूत से बने सभी टेक्सटाइल माल, जिनमें कोई अन्य टेक्सटाइल सामग्री नहीं है- 4%

   ख) अन्य टेक्सटाइल माल- 8%

   शुल्क के संदाय का विकल्प लेने वाला व्यक्ति केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा।

7) ऐसे टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुओं, जिनपर इस समय टैरिफ की दर "शून्य" है, पर टैरिफ की दर शून्य ही बनी रहेगी, रेशम सूत, रेशम अपशिष्ट से कते सूत, रेशम के व्यूतित फेब्रिक और रेशम अपशिष्ट (शीर्ष सं. 50.04 और 50.05) को छोड़कर। इन मदों के लिए शून्य (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय रहित) या 8% (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय सहित) का वैकल्पिक शुल्क विहित किया गया है। इन मदों के लिए टैरिफ दरों का उपयुक्ततः संशोधन किया गया है।

8) अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले सभी टेक्सटाइलों और टेक्सटाइल वस्तुओं को अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम के अधीन जहां कहीं वे लागू हो, पूर्णतः छूट दी गई है।

9) फुटकर कार्य पर पोलिएस्टर फिलामेंट सूत के विनिर्माण को अधिसूचना सं. 214/84 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की परिधि से अपवर्जित किया गया है।

च. स्वास्थ्य

1) सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए एम्बुलेंसों पर 16% के विद्यमान रियायती उत्पाद-शुल्क को सभी एम्बुलेंसों पर विस्तारित किया गया है।

2) बोलती पुस्तकों, बोलते केल्क्यूलेटरों, बोलते तापमापियों, ब्रेल राइटरों, ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनलों जैसे पुनर्वास सहायकों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

3) हेपेटाइटिस-बी का पता लगाने के लिए प्रयुक्त नैदानिक किटों पर उपलब्ध उत्पाद-शुल्क छूट को सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए प्रयुक्त नैदानिक किटों पर विस्तारित किया गया है।

छ. प्रकीर्ण

1) रीलों में न्यूजप्रिंट को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

2) भारी जल के विनिर्माण में उपयोग के लिए अमोनिया और संशलिष्ट गैस के उत्पादन में उपयोग होने वाले नाफ्था/प्राकृतिक गैसोलीन द्रव्य (एनजीएल) के लिए विद्यमान उत्पाद-शुल्क छूट को, भारी जल के विनिर्माण के लिए भारी जल संयंत्रों को प्रदाय की जाने वाली भाप के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली नाफ्था/एनजीएल पर विस्तारित किया गया है।

3) सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए क्षेत्र आधारित छूटों के मामले में एक अंतिम खंड प्रस्थापित किया गया है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ये छूटें केवल ऐसी इकाइयों को ही उपलब्ध होंगी, जो 31.03.2007 को या इससे पूर्व स्थापित की जाती हैं, या विद्यमान इकाइयों का व्यापक रूप से विस्तार किया जाता है और वे 31.08.2007 को या उससे पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती हैं।

4) यदि खुदरा विक्रय मूल्य घोषित नहीं किया गया है या सही रूप से घोषित नहीं किया गया है तो रंगीन टेलीविजन ग्राहियों पर विहित उत्पाद शुल्क की विनिर्दिष्ट दरें वापस ले ली गई हैं। रंगीन टेलीविजन ग्राहियों पर अब उत्पाद-शुल्क की 16% एक समान दर लागू होगी।

5) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों (सिगरेट और बीड़ी से भिन्न) का उत्पादन करने वाली विनिर्दिष्ट प्रकार की यूनिटों के लिए छूट स्कीम में तिमाही की समाप्ति से छह मास के भीतर प्रति तिमाही उत्पाद-शुल्क रकम निवेश करने के लिए शर्त शिथिल कर दी गई है। रकम को किसी निलम्बलेख खाते में इस शर्त के अधीन जमा किया जा सकेगा कि रकम का उक्त निलम्बलेख खाते में जमा करवाने के दो वर्ष के भीतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश किया जाएगा।

ज. खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी)आधारित निर्धारणः

(I) उत्पाद-शुल्क दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी की दरों में परिवर्तन किए गए हैं :

1. गैस चूल्हों पर छूट, जिनका प्रति इकाई खुदरा मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, 40% से घटाकर 35% कर दी गई है।
2. सुगंन्धित सुपारी पर छूट 30% से बढ़ाकर 35% कर दी गई है।
3. प्लास्टिक के ऊष्मारोधी बर्तनों पर छूट 40% से बढ़ाकर 45% कर दी गई है।
4. निर्वात फ्लास्क पर छूट 35% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है।

(II) खुदरा बिक्री मूल्य आधारित निर्धारण कर मोनोक्रोम (श्याम और श्वेत) टेलीविजन सेटों पर 35% छूट को विस्तारित किया गया है।

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियमों और नियमों में संशोधन

क्रम संख्या 4,5,6,8,9 और 10 के सामने उल्लिखित परिवर्तन तुरन्त प्रभाव से लागू होगें। अन्य परिवर्तन वित्त (सख्यांक 2) विधेयक, 2004 के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे।

1. कार्यवाहियों के प्रारम्भ किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात अपराधों के प्रशमन को अनुज्ञात करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क विधियों में उपबंध किए जा रहे हैं।
2. ऐसे व्यक्ति से, जिसको किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो बकायों का संदाय करने का दायी है, अपनी कारबार संपत्ति अंतरित कर दी है, ब्याज सहित राजस्व के बकायों की वसूली करने में समर्थ बनाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एक उपबंध किया जा रहा है।

3. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आयुक्त (अपील) और अपीलीय प्राधिकरण को किसी पक्षकार को व्यैक्तिक सुनवाई के तीन से अधिक स्थगन प्रदान करने से वर्जित करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम में उपबंध किए जा रहे हैं।
4. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के खंड (xv) में एक खंड टिप्पण अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी तार में कोई छड़ डालने या पुनःडालने या वैसी ही कोई वस्तु डालने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।
5. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का मोनोक्रोम(श्याम और श्वेत) टेलीविजन सेटों पर उक्त अधिनियम की धारा 2(च)(iii) के उपबंधों का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया है।
6. केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय नियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात निवेशों पर संदत्त एईडी (जीएसआई) केन्द्रीय मूल्य वर्धित शुल्क के संदाय के लिए उपयोग के लिए पात्र होगा।
7. सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 को, अपीली अधिकरण के समक्ष अपील करते समय विनिर्दिष्ट फीस के संदाय का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
8. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 ख का लोप किया गया है।
9. नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन दस्तावेज के पृष्ठांकन से संबंधित उपबंध और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम के नियम 8 के अधीन छूट प्राप्त टेक्सटाइल विनिर्माता द्वारा प्रत्यय के अंतरण से संबंधित उपबंधों का लोप किया गया है।
10. अधिसूचना सं. 83/2004-सीमाशुल्क (एनटी), तारीख 30 जून, 2004 और सं. 38/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001(यथा संशोधित) को 11 मई, 1982 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।
11. शुल्क ब्याज की दर की अवधारणा की तारीख, प्रतिपाटन शुल्क के अपराधों और शास्तियों से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क का संशोधन किया जा रहा है।

सेवा कर

(VI), (VII), (VIII) (3) और (VIII) (10) के संबंध में परिवर्तन तुरंत प्रवृत्त होंगें। अन्य परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 के अधिनियमन पर लागू होंगे।

(I) शिक्षा उपकर

सेवा कर के अध्यधीन सेवाओं पर शिक्षा उपकर उद्गृहीत किया जा रहा है। यह सेवा कर के 2 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगा। इनपुट सेवाओं पर संदत्त उपकर आउटपुट सेवाओं पर उपकर के संदाय के लिए प्रत्यय के रूप में उपलब्ध होगा।

(II) दर और इनपुट प्रत्यय

- मालों और सेवाओं पर सेवा कर और उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय का विस्तार किया जा रहा है।
- सेवा कर की दर 8% से बढ़ाकर 10% की जा रही है।

(III) निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा हैः

(1) कारबार प्रदर्शनी सेवाएं
(2) विमानपत्तन सेवाएं
(3) सड़क मार्ग द्वारा माल का परिवहन (किसी माल परिवहन अभिकरण द्वारा)
(4) वायुमार्ग द्वारा माल का परिवहन
(5) खनिजों का सर्वेक्षण और खोज
(6) रायशुमारी सेवाएं
(7) प्रतिलिप्याधिकारों से भिन्न बौद्धिक संपदा सेवाएं
(8) अग्रिम संविदा सेवा
(9) पंडाल या शामियाना सेवा
(10) बाह्य खानपान प्रबंधन
(11) टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम निर्माण
(12) व्यावसायिक या औद्योगिक भवन या सिविल संरचनाओं के संबंध में संनिर्माण सेवाएं
(13) यात्रा अभिकर्त्ता (वायुयान यात्रा/ रेल यात्रा अभिकर्ताओं से भिन्न)

(IV) सेवा कर को जीवन बीमा सेवा के जोखिम कवर तक निर्बंधित किया जा रहा है

(V) कतिपय विद्यमान सेवाओं की परिधि का निम्नवत् विस्तार किया जा रहा है-

(1) संयत्र, मशीनरी या उपस्कर के संस्थापन और प्रतिष्ठापन के अंतर्गत उनका "उत्थापन" भी है।
(2) स्टॉक-दलाल के अंतर्गत "उप दलाल" भी हैं।
(3) केबल प्रचारक सेवा के अंतर्गत "बहुप्रणाली प्रचालक (एमएसओ)" भी हैं।
(4) कारबार आनुषंगिक सेवा के अंतर्गत इनपुटों के उपापन, मालों के उत्पादन या ग्राहक की ओर से सेवाओं के उपबंध से संबंधित सेवाएं भी हैं। तथापि, "विनिर्माण की कोटि में आने वाले क्रियाकलापों" को सेवा कर की परिधि से विनिर्दिष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
(5) वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय सेवाएं, अर्थात, उधार देना, संदाय आदेश जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, प्रत्यय पत्र, विनिमय पत्र, बैंक प्रत्याभूति देना, ओवर ड्राफ्ट सुविधा, बट्टे पर बिल भुनाई, सेफ डिपॉजिट, लॉकर्स, सेफ वाल्ट और बैंक खातों का प्रचालन भी है। तथापि, ब्याज की रकम को सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बैंककारी कंपनी के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं, जिनके अंतर्गत कोई गैर- बैंककारी वित्तपोषण कंपनी, निगमित निकाय, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला कोई अन्य वाणिज्यिक समुत्थान भी हैं, भी इसके अंतर्गत आएंगी।
(6) पर्यटन प्रचालक सेवाओं के अंतर्गत ऐसे पैकेज पर्यटन प्रचालक भी हैं, जो ऐसे पर्यटन का आयोजन करते हैं, जिनमें परिवहन के किसी साधन का उपयोग किया जाता है।

(VI) निम्नलिखित सेवा कर छूटें समाप्त की जा रही हैं:

(1) सेफ डिपॉजिट लॉकर्स और वाल्टस के संबंध में सेवाओं को छूट।

(2) अनुरक्षण संविदा के अधीन या विनिर्माता द्वारा कंप्यूटरों का अनुरक्षण या मरम्मत।

(3) होटलों द्वारा प्रदान की जा रही मंडप चलाने वाली सेवाएं। तथापि, 40% की छूट यदि खानपान भी उपलब्ध कराया जाता है तो अनुज्ञात की जाएगी।

(4) कारबार समनुषंगी सेवा के अधीन, कृषि उत्पादों में व्यौहार कर रहे अभिकर्ताओं से भिन्न, कमीशन अभिकर्त्ता।

(5) केबल आपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही प्रसारण सेवा।

(6) गैस-पैकेज पर्यटनों के लिए छूट 90% से 60% तक घटाना।

(VII) छूटें:

(1) जब खानपान भी उपलब्ध कराया जा रहा हो तो कन्वेंशन सेवा में 40% की छूट।

(2) रेन्ट-ए-कैब स्कीम ऑपरेटरों को 60% की छूट।

(VIII) अधिनियम और नियमों में परिवर्तन:

(1) विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारण के अनिवार्य सत्यापन को समाप्त किया जा रहा है।

(2) अरजिस्ट्रीकरण के लिए आज्ञापक शास्ति को समाप्त किया जा रहा है। सद्भावपूर्ण प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के सभी मामलों में, कोई शास्ति अधिरोपित नहीं होगी।

(3) सेवा कर प्रत्यय नियम के नियम 6 का संशोधन किया गया है। यदि इनपुट सेवा प्रदायकर्ता ने सेवाकर का संदाय नहीं किया है तो प्रत्यय का लाभ लेने वाले व्यक्ति से सेवा कर प्रत्यय की वसूली उस समय नहीं की जा सकती, यदि उसने नियम 5 के निबंधनों में युक्तियुक्त उपाय किए थे।

(4) सेवा कर के विलंब से संदाय पर 15% वार्षिक की विद्यमान ब्याज दर को 10% से 36% वार्षिक की रेंज वाली ब्याज दर से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के पास सेवाकर के बिलंब से संदाय पर इस रेंज के भीतर ब्याज दर को अधिसूचित करने की शक्ति होगी।

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया है कि जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित या प्राप्त की गई कुल राशि में संदेय सेवा कर सम्मिलित है, वहां कराधेय सेवा का मूल्य वह राशि होगी जो उस पर संदेय सेवा कर को जोड़े जाने के पश्चात प्रभारित या प्राप्त कुल राशि के बराबर है।

(6) निर्धारण के सत्यापन और सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 की क्रमशः धारा 71 और धारा 72 का लोप किया जा रहा है।

(7) कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त या गलती से प्रतिदाय किए गए सेवाकर की वसूली से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के उपबंधों का, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11(क) के अनुरूप पुनः प्रारूपण किया जा रहा है। धारा 74 (आदेशों की परिशुद्धि से संबंधित), धारा 76 (जो कपट, मिथ्याकथन आदि के मामलों में शास्ति का उपबंध करती है) और धारा 85 (आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलों से संबंधित) में भी पारिणामिक परिवर्तन किए जा रहे हैं।

(8) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 क और 79 के शास्तिक उपबंधों का लोप किया जा रहा है। धारा 77 के अधीन उपबंधों (वर्तमान में जो विवरणी फाइल न करने पर शास्ति का उपबंध करते हैं) को नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लघंन करने पर शास्ति का उपबंध करने के लिए उपांतरित किया जा रहा है। धारा 76 और धारा 80 में तकनीकी और पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

(9) कंपनियों के अभियोजन से संबंधित धारा 81 के निरर्थक होने के कारण इसका लोप किया जा रहा है।

(10) सेवा कर नियम के नियम 6 में यह स्पष्ट करने के लिए कि यदि संदाय अग्रिम रुप से प्राप्त किया जाता है तो सेवा कर समानुपाती आधार पर संदेय होगा, एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जा रहा है।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य अनुक्रम में मालों के विक्रय से संबंधित विषयों पर विभिन्न राज्य सरकारों के बीच विवादों का समाधान सरल है, केन्द्रीय विक्रय अधिनियम के अध्याय 6 में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया गया है।
2. विशेष आर्थिक जोन में स्थित यूनिटों को, ऐसी यूनिटों की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय विक्रय कर संदाय से छूट दी गई है। केन्द्रीय विक्रय कर के संदाय से छूट के फायदे को विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के प्रयोजन के किए विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ताओं पर भी विस्तारित किया जा रहा है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

1. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में स्टाम्प की परिभाषा का उपबंध करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि स्टाम्प शुल्क के संदाय के वैकल्पिक ढ़गों को लागू किया जा सके।
2. बीमा पालिसियों की बाबत समेकित स्टाम्प शुल्कों के संदाय के लिए उपबंध किए गए हैं।
3. उस प्रारंभिक स्तर को, जिससे अधिक स्टाम्प शुल्क को 500 रुपए से 5000 रुपए के वर्तमान स्तर से प्राप्तियों पर राजस्व स्टाम्पों के रूप में प्रभारित किया जाता है, बढ़ाने के लिए उपबंध किए गए हैं।